SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Madam, justice should not only be impartial but it must be equal. That is the rationale of legal aid because it helps the scales of justice to be held even. The hon. Minister has frankly admitted and I must appreciate his candour, that there is much to be done in the field in spite of various measures. I want to ask a couple of things. First of all, the resources. I do not think the time is there to tax the State for these resources. A small cess of Rs. 25/-, where thousands and lakhs are spent on litigation on every case, would bring in sufficient amount of resources to have a very, very effective legal aid. Secondly, the Minister has spoken about weaker sections. But there are vulnerable sections, particularly the women, disabled, the physically handicapped and mentally retarded, and for them there is no legal aid at all. So I would like to ask the hon. Minister as to what steps are being taken to see that legal aid is strengthened particularly for these weaker sections. Seondly, I would like to know—because that is the natural corollary—as to what is the monitoring agency to see that there is effective grant of legal aid to vulnerable sections of society.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I thank the hon. Member for his views on legal aid and I welcome it. But is will require the involvement of not only the resources but as I said at the outset, persons like the hon. Member, members of the Bar, members of the judiciary and the State Governments will have to come out in lot.

Madam, we have concern for equality. We have the concept of equality, under article 14 of the Constitution. Therefore, there can be no equality unless there is equality in resources, unless there is equality in the fight for judicial rights. Not only we should look to the resources of the backward communities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, children and disabled, but they should also be helped by some competent lawyers who are practising in the courts, because that matters in the decisions of the courts. As I said earlier, after the National Legal Aid Act is passed, we will sit together. We will involve members of the Bar like the hon. Member. Then, we will involve the State Governments. We will also discuss it with the judiciary and see that the dream of equality envisaged under article 14 of our Constitution, is realised.

Madam, this is a movement in which we require the co-operation of every single member of the Bar, every single member of the judiciary and every single member in the society who has a concern for the emancipation of these poor people. It cannot be done just by a few steps. As you know, this movement started in the eighties with a speed, but it had a drawback and it suffered during the last few years. This concern for legal aid, this concern for fighting for the rights of the weaker sections, was not the same as it was in the eighties, this concern which is reflected in the society in its general working. Therefore, I would urge upon hon. Members, if there are any suggestions in this matter, the Government will welcome it. We will try to implement it through the agency of the National Legal Aid Authority Act.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 522 (*Interruptions*)

अरावली पर्वतमाला क्षेत्रों को विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना

*522. **श्री शिवचरण सिंह :**
श्री मूल चन्द मीणा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए किसी बोर्ड अथवा निगम का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के किन किन पर्वतीय क्षेत्रों को उसके क्षेत्राधिकार में लिया गया है ;

---

*सभा में यह प्रश्न श्री शिवचरण सिंह द्वारा पूछा गया।

(ग) क्या अरावली पर्वतीय श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को, उसके अंतर्गत लाया गया है और यदि हां, तो किन-किन राज्यों के किन-किन जिलों को उसमें सम्मिलित किया गया है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राजस्थान के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों को उक्त निकाय के अंतर्गत कब लाया जायेगा; और

(ङ) क्या योजना आयोग के कार्यदल ने इस संबंध में अपना प्रतिवेदन कर दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराज) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे किसी बोर्ड या निगम का गठन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जुलाई 1988 में योजना आयोग द्वारा गठित अरावली पहाड़ियों के विकास से संबंधित कार्यदल ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु किसी बोर्ड या निगम के गठन के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, क्योंकि यह उसके विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं था।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपसभापति जी, मेरे प्रश्न "क" और "ख" का जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह पूर्णतः गलत है।

उपसभापति : सही नहीं है। आप चाहिये सही नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : वह सही नहीं है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में विकास के लिए किसी बोर्ड या निगम का गठन किया गया है? क्या यह सही है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार का कोई आर्गेनाइजेशन बना था? क्या यह सही है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस प्रकार के आर्गनाइजेशन को कुछ राशि दी गई थी? क्या यह सही है कि इसमें कुछ अलग-अलग प्रांतों के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वे शामिल किये गये हैं? आप कृपया लिख लें, याद नहीं रहेगा।

उपसभापति : आप इतने ही सवाल पूछ लीजिए।

श्री शिवचरण सिंह : क्या यह सही है, जैसा मैंने अपने प्रश्न के पार्ट "ई" में पूछा है कि राजस्थान में पंचवर्षीय योजना में आपको एक मेमोरेंडम मिला था जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स को इस अथोरिटी के तहत प्लानिंग से इधर एलाट करने के बारे में लिखा गया था? आप एक-एक का जवाब दे दीजिए। (व्यवधान)

उपसभापति : जवाब दे दीजिए।

श्री बुध राम : माननीय सदस्य ने प्रश्न ही ऐसा किया था कि मुझ को ऐसा उत्तर देना पड़ा। अगर यह कहते कि कोई ऐसे बोर्ड के गठन की बात विचाराधीन है तो मैं उसके मुताबिक उत्तर देता। मगर आपने कहा कि बोर्ड क्या बन चुका है? बोर्ड नहीं बना। मैं यह जवाब देता कि बोर्ड नहीं बना। लेकिन यह बात सही है कि इसमें जो हिल एरियाज हैं, खासतौर से नार्थ-वेस्ट हिमालय में जिसमें कि यू०पी० के हिल्स है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू-कश्मीर है, उसके लिए एक विचाराधीन बात है कि बोर्ड का गठन किया जाए। और उस बोर्ड के माध्यम से, उस बोर्ड में प्रधान मंत्री और तीनों क्षेत्रों के मुख्य मंत्री उसके मेम्बर बनें और उसमें जो पर्यावरण की कठिनाइयां है, इस क्षेत्र में, उनके बारे में एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाय ताकि जो आज बहुत सी समस्यायें उसकी वजह से खड़ी हो रही हैं उन समस्याओं का निपटारा किया जाना चाहिए जहां तक मेरे जो राजस्थान के बारे में आपके बारे की है उसमें भी यह बात सही है कि एक

वर्किंग ग्रुप अरावली हिल्स के लिए बनाया गया था 1988 में जिसने एक साल के बाद रिपोर्ट दी थी और उसने एक और बहुत सी स्टेटों से यह मांग थी कि कुछ उनकी स्टेटों में जो हिल एरियाज हैं उनको हिल एरिया डेवलपमेंट में शामिल किया जाय। मगर उसके लिए एक बोर्ड का गठन हुआ और उसके लिए क्राइटेरिया इवोल्व किया जाय और अभी जो टास्क फोर्स बना बाद में, उसने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कुछ सिफारिशें की गई और वे सिफारिशें जो प्लानिंग कमीशन की इंटरनल मीटिंग है उसमें उनको रखा गया और उसमें तय किया गया कि कोई भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो हिल एरिया, जिसकी अभी पहचान नहीं हुई है, वे शामिल नहीं किये जाएंगे। यह अभी प्लानिंग कमीशन की एन०डी०सी० के सामने मामला जाएगा और फाइनली उसमें उसका फैसला होगा।

श्री शिव चरण सिंह : महोदया, मेरे प्रश्न का उत्तर बिलकुल नहीं आया ...**(व्यवधान)**।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: How many questions?

उपसभापति : कौन-सा प्रश्न है आपका जिसका उत्तर नहीं आया है?

श्री शिव चरण सिंह : माननीया मेडम, हिल एरिया डेवलपमेंट अथोरिटी जो है उसको पांचवें प्लान में रुपया एलाट हुआ, छठे प्लान में रुपया एलाट हुआ और सातवें प्लान म रुपया एलाट आ और वह आर्गेनाइजेशन आज भी एग्जीस्ट करता है। पांचवें प्लान में 560 करोड़ रुपये एलाट किये गये और छठे प्लान में 870 करोड़ रुपये एलाट किये गये और पांचवें प्लान में हिल डेवलपमेंट एरिया The Hill Areas Development Programme as initiated in the Fifth Plan pertains to hill areas covered under the scheme including the Himalayan and other hill regions, Western Ghats, hill tracts and other territories. इसके बारे म मेरा प्रश्न था। आपने अरावली की बात कही। यह तो फोरेस्टेशन का प्रश्न है। मैं योजना की मद से इस डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन के लिए आपने कितना रुपया दिया उसके बारे में मेरा प्रश्न था। मैं बताना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को...**(व्यवधान)** उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए बताऊंगा। The main object of the HADP is to promote socio-economic development of the hill people in harmony with the ecology of the region. The HADP covers two districts in Assam, eight districts in Uttar Pradesh and the Nilgiris in Tamil Nadu.

उपसभापति : आप सवाल पूछिये।

श्री शिव चरण सिंह : मैं बता रहा हूं। ये जो डिस्ट्रिक्टस इन्क्लूड किये हैं, माननीय मंत्री जी आप कृपया यह उत्तर दें कि यह जो पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में हिल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन को जो रुपया अलाट किया गया वह आर्गेनाइजेशन है या नहीं?

श्री सुख राम : मेडम, अभी माननीय सदस्य को मुगालता लग रहा है, वे इन चीजो को कंफ्यूज कर रहे है। इनका प्रश्न था— Whether any Board or Corporation has been set up for the development of the hill areas. मैंने कहा कि उसका बोर्ड अभी नहीं है अगर आप हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को पूछते तो मैं उसका उत्तर देता कि कितना रुपया रखा गया है इन योजनाओं में। आपका प्रश्न इस पर नहीं है। आपका प्रश्न बोर्ड के बारे में है।... **(व्यवधान)**।

श्री शिव चरण सिंह : बोर्ड और आर्गेनाइजेशन दोनों के बारे में मेरा प्रश्न है। आप मेरे प्रश्न को पढ़िये।

श्री सुख राम : आपका प्रश्न और कार्पोरेशन के बारे में है। उसी के बारे में मैंने उत्तर दिया है। जो आपने पूछा ही नहीं है उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं।

उपसभापति : मंत्री जी कह रहे हैं कि आपका सवाल था कि बोर्ड या कार्पोरेशन के अन्तर्गत पैसा दिया गया है, उसका उन्होंने जवाब दिया है कि बोर्ड या कार्पोरेशन है ही नहीं, इसलिए उस हैड में नहीं दिया। मगर जो हिल एरिया डेवलपमेंट के लिए पैसा प्लान में दिया उसकी जानकारी उनके पास है। वह सवाल पूछा नहीं गया है, इसलिए उन्होंने उसी तरीके से जवाब नहीं दिया।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय महोदया, . .

उपसभापति : आपका हो गया सवाल। . . . **(व्यवधान)** . . .

SHRI HIPHEI: Madam, in the whole country we have...

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Let him ask his second supplementary, Madam . . . (*Interruptions*)

श्रीमती सत्या बहिन : आपको बोर्ड पूछना चाहिये था. . . **(व्यवधान)** . . .

उपसभापति : 4—5 सप्लीमेंटरी पूछना चाहेंगे ? . . . **(व्यवधान)** . . .

श्रीमती सत्या बहिन : उन्हें बोर्ड पूछना चाहिये था . . . **(व्यवधान)** . .

उपसभापति : हिफेई जी, उनको पूछ लेने दीजिये। उनका मेन क्वेश्चन है। Let him ask. His was the main question. If he still has some doubts, let him get them cleared.

श्री शिवचरण सिंह : मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि यह जो रुपया दिया गया है, हिल डेवलपमेंट एक्टीविटीज के लिये, तो क्या इसमें जो जिसे पहले सम्मिलित किये गये हैं, भारतवर्ष के अनेक प्रांतों के, उनके अलावा क्या अन्य हिल डेवलपमेंट एरिया इस प्रोग्राम के अन्तर्गत, जो माउंटेन क्षेत्र हैं, वे भी इसमें सम्मिलित किये जायेंगे या नहीं ?

श्री सुख राम : मैडम, मैं फिर इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस बात का माननीय सदस्य को अभी ख्याल आ रहा है या बात कर रहे हैं वह एच० ए०डी०पी० प्रोग्राम है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर ये इस बारे में प्रश्न करते तो इसमें कितने सूबे है, कितने जिले हैं, कितने रुपये दिये गये है, यह सब मैं उसमें देता। मगर आपने अभी जो प्रश्न किया उसमें आपने कहा कि कुछ और पहाड़ी क्षेत्र क्या इसमें शामिल करने की बात है। मैंने पहले ही उत्तर में कह दिया था कि अभी हमारा जो वर्किंग ग्रुप बना है उसकी जो रिपोर्ट आयी है, उसको प्लानिंग कमीशन की इंटरनल मीटिंग में रखा गया था और उसमें यह तय किया गया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई भी हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम उसमें शामिल नहीं किया जायेगा। यह प्रश्न अभी जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल है, उसमें जायेगा और वह इस बारे में क्या निर्णय करती है, यह उस पर निर्भर करता है। . . .

SHRI HIPHEI: Madam, in the whole country we have nine Autonomous District Councils. Today the Centrally-sponsored schemes are implemented by the State Governments through village panchayats. They are called "Village Councils." The Village Councils are controlled by the Autonomous District Councils. So, will the Government of India issue instructions to the State Governments concerned...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, please, in the House. I can't hear the Member, please.

SHRI HIPHEI: ...that the Centrally-sponsored schemes also should be imple-

mented by those local bodies, the Autonomous District Councils through their village panchayats?

SHRI SUKH RAM: Madam, this question, I think, pertains to the North-Eastern Council which has been constituted for all the North-Eastern States. Because this question is a different one, it is with regard to constitution of a Corporation or a Board, and that pertains to the North-Western Himalayas and it is quite different, I don't have this information on which one is the executing body. Otherwise, this much I can say that the inter-State projects are executed under that scheme.

श्री मुरली मनोहर जोशी : महोदया, पिछले अनेक वर्षों से उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल के आठों जिलों को जो सहायता दी जा रही थी, उसकी राशि उतनी ही हुआ करती थी जितनी हिमाचल प्रदेश को दी जाने वाली सहायता । लेकिन पिछले तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश के इन जिलों को दी जाने वाली सहायता में निरंतर ह्रास हो रहा है । मैं जानना चाहूंगा, पहला कि यह ह्रास क्यों किया जा रहा है ? इसका आधार बदलने का क्या कारण है जब कि दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या बराबर है और उत्तरांचल के इन आठों जिलों का विकास अभी बहुत पीछे है ? दूसरा क्या प्लानिंग कमीशन समूचे हिमालय के विकास के लिये कोई समेकित योजना बनाना चाहेगा ? सारे हिमालय के विकास की जो समस्यायें हैं चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वह कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या चाहे सिक्किम हो, इन सब में बहुत सी समस्यायें एक सी हैं । क्या योजना आयोग हिमालय को एक इकाई मानते हुए सारे हिमालय के विकास के लिये कोई सेल, कोई योजना या कोई कार्यक्रम बनाने पर विचार करेगा ?

श्री सुख राम : मेडम, यह बात दुरुस्त है कि पहाड़ों की जो समस्याएं हैं, वह मैदानों से भिन्न हैं । विशेष तौर पर नार्थ वेस्टर्न हिमालयाज हैं, उनको एक इकाई मान कर करें, इसके लिए एक टास्क फोर्स डा० स्वामीनाथन के अध्यक्षता में बनाई गई थी । उन्होंने 1981 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने सिफारिश की कि इस रीजन की इको डेवलपमेंट की समस्याओं को हल करने के लिए एक इको डेवलपमेंट कमीशन स्थापित किया जाए । मगर बाद में यह तय हुआ कि बजाय कमीशन के एक बोर्ड की स्थापना की जाए जिसके प्रधानमंत्री जी चेयरमैन हों तथा तीनों राज्यों के मुख्य मंत्री सदस्य बनें । यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है । मैं यह बात मानता हूं कि वहां पर्यावरण की समस्याएं इतनी बढ़ रही हैं कि न केवल उस क्षेत्र के एक करोड़ अस्सी लाख लोगों के लिए बल्कि समस्त उत्तर भारत के लिए समस्या हो सकती है । इस वास्ते मेरा यह मानना है कि एक व्यापक कार्यक्रम इस क्षेत्र के लिए बनना चाहिये । उस कार्यक्रम को ओवर-सी करने के लिए, देखने के लिए, कैसे उसको कार्यान्वित किया जाए, इसके लिए एक अथार्टी का बनना बहुत जरूरी है । हालांकि कुछ अर्से से यह मामला लटका हुआ है, मेरी यह कोशिश होगी कि यह अथार्टी बहुत जल्दी बने और इस क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको हल करने में हम कामयाब हो सकें ।

श्री मुरली मनोहर जोशी : मेरे प्रश्न का पहला हिस्सा यह था कि उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को दी जाने वाली राशि बराबर क्यों घट रही है ? यह आप कब रिस्टोर करेंगे ?

श्री सुख राम : मेडम, यह सवाल इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता है । चूंकि मैं भी पहाड़ों से ताल्लुक रखता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि जितनी धनराशि हिमाचल प्रदेश के लिए रखी जाती है उतनी धनराशि यू० पी० के पहाड़ों के लिए भी रखी जाती है । उसमें कितनी कमी हुई है उसके लेटेस्ट आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं । आप अलग से नोटिस दें तो मैं आपको उसका पूरा उत्तर जरूर दूंगा ।

SHRI VENOD SHARMA: Is it a fact that the degradation of the fragile eco-system in the North-Western Himalayas poses a grave danger to the entire plain areas and could result in desert-like conditions? Secondly, is there a proposal for constituting a North-Western Himalyas Eco-Development Authority for the eco-development of the entire North-Western Himalayas region? And looking into the urgency of the matter, is there any time-frame to set up an authority? Will the Minister please answer these questions?

SHRI SUKH RAM: I appreciate and associate myself with the concern expressed by the hon. Member for desertification of the plain areas, particularly in Punjab, Haryana and major parts of UP.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Do you just appreciate or share his concern?

SHRI SUKH RAM: I appreciate and also share his concern. This soil erosion problem is becoming very acute in the North-Western Himalayas i.e. in Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and UP Hills. For that purpose, as I have just now stated, an eco-development authority is proposed to be set up under the Chairmanship of the Prime Minister. In case we do not attend to this problem, as per the report of Dr. Swaminathan, who is supposed to be an expert on Himalayan problems, then Punjab, Haryana and major parts of UP, including Delhi, will face the same situation, which North Bihar is facing now. I cannot give the time-frame about this proposal, because it concerns other departments e.g. Department of Environment. I will ensure that a speedy action is taken. As far as the constitution of the authority is concerned, and whatever action is needed in this behalf, I will do my best.

Export and development of handicrafts of Bihar

*523. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the handicrafts of the State of Bihar are in great demand abroad;

(b) if so, what are the details of export of handicrafts from Bihar during the last three years;

(c) whether Government gives any incentives to the producers of handicrafts in the State;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) what action Government propose to take for the development of handicrafts in Bihar?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The handicrafts items from India, including Bihar have a good market abroad. Statewise statistics of export are not maintained.

(c) and (d) The Government of India recognises outstanding skills among craftspersons. As an incentive to all craftspersons including those from Bihar, there is a scheme of National Awards and Merit Certificates. Under this scheme since its inception in 1965, 17 master craftspersons from Bihar have been given National Awards and 19 craftspersons have been given Merit Certificates.

Under a scheme of financial assistance to craftspersons in indigent circumstances, 13 master craftspersons from Bihar have been given financial assistance of Rs. 500 per month.

(e) Although handicrafts is a State subject, in order to encourage the development of handicrafts in Bihar, the Government of India through the Development Commissioner (Handicrafts) has taken various steps to encourage their production. These include programmes of training in various crafts, design and technological development, marketing development and support, and establish-